



2026:AHC:32929

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या - 369 सन् 2026

दिनेश कुमार पाण्डे

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार, नमित श्रीवास्तव, पारुल श्रीवास्तव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ती विकास बुधवार

सिविल विविध उपांतरण प्रार्थना पत्र संख्या 2 सन् 2026 के संबंध में

- दिनांक 16.01.2026 को मुख्य याचिका पर निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं।
“ 1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस० के० पाल को सुना।”
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति बिक्री कर विभाग में हुई थी और उसका स्थानान्तरण इलाहाबाद/ प्रयागराज जिले में कर दिया गया था, हलांकि, दिनांक 03.01.2026 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण अंबेडकर नगर में कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 01.12.1966 है और उसकी सेवानिवृत्ति तिथि 30.11.2026 है और उसके अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति में केवल दस महीने शेष हैं।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के बिक्री कर आयुक्त (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) के समक्ष उठा सकता है।
- बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुनने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 30.11.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष 22.01.2026 तक एक विस्तृत अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित हो, जिस पर प्रत्यर्थी 28.02.2026 तक आदेश पारित करेगा।
- 28.02.2026 तक या आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया

2

जाएगा, यदि उसे पहले से कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

6. इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा तभी लागू होगी, जब याचिकाकर्ता आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

2. इसके बाद, दिनांक 10.02.2026 को उपांतरण प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया।

“उपांतरण प्रार्थना पत्र संख्या 2 सन् 2026 के संबंध में

- आज दाखिल किया गया शपथपत्र अभिलेख पर दर्ज कर लिया गया है।
- यह उपांतरण प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.01.2026 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए दाखिल

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की गई है, ताकि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधीन पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सके, क्योंकि याचिकाकर्ता को दिनांकित 07.01.2026 के आदेश द्वारा अनुपस्थिति में कार्यमुक्त कर दिया गया था। उपांतरण प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया गया है कि 03.01.2026 को याचिकाकर्ता का प्रयागराज से अंबेडकर नगर में स्थानांतरण हो गया था। अंतरा प्रताप सिंह, जो अंबेडकर नगर में तैनात थे, जहां याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हुआ था, को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने रिट-ए संख्या 8589 सन् 2025 में निलंबन को चुनौती दी, जिसे 05.08.2025 को स्वीकार कर लिया गया और अंतर-न्यायालय अपील में स्थगन याचिका भी खारिज कर दी गई।

3. निलंबन आदेश रद्द होने के बाद, उन्होंने प्रयागराज से अंबेडकर नगर में याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 312 सन् 2026 दाखिल की और उक्त याचिका 20.10.2026 को स्वीकार कर ली गई। अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि जिस स्थान पर उनका स्थानांतरण हो रहा है, वहां पहले से ही एक पदाधिकारी कार्यरत है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रयागराज में ही रखा जाए और कार्यभारमुक्त करने का आदेश रद्द किया जाए तथा याचिकाकर्ता/ प्रार्थी को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए।

4. श्री एस० के०पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगते हैं।

5. इस मामले को 13.02.2026 को अतिरिक्त मामलों की सूची में शामिल करें।”

3. आज निर्देश भेजे गए हैं, जिसके अनुसार स्थानांतरण आदेश वापस ले लिया गया है और याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई है।

4. उपरोक्त को देखते हुए, उपांतरण प्रार्थना पत्र पर आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं

3

है, तदनुसार, उपांतरण प्रार्थना पत्र का निपटारा किया जाता है।

5. आज दाखिल किए गए निर्देशों का अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'X' और 'Z' के रूप में चिह्नित किया गया है।

13 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"